न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. रवि कुमार सुरपुर, आई.ए.एस

अपील संख्याः 02/2024 GCMS No. 2024/175

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995

1. रतीराम पुत्र कालूराम निवासी वार्ड नं. 05, 11–12 के.डब्ल्यू.एम., रोजड़ी, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर, हाल जिला अनूपगढ़, राजस्थान।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री नेताराम नायक, अभियोजन अधिकारी — अभिभाषक अपीलांट राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक 13.05.2025

यह अपील राजस्थान गोवंशीय अधिनियम 1995 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 18.11.2024 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है –

1– अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 ए राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट 417/2024 पुलिस थाना घड़साना में जब्तशुदा वाहन रजि. नं. आरजे–22आरए–2016 को प्रार्थी अपीलांट को सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2024 पारित करते हुए प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

13.5
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट का ट्रैक्टर रजि. नं. आरजे–22आरए–2016 मॉडल 2008 बतौर वजह सबूत पुलिस थाना घड़साना में जब्त है, जिसकी पुलिस को कोई आवश्यकता नहीं हैं। उक्त ट्रैक्टर के पुलिस थाना में खड़े रहने के कारण रंग–रोगन व टायर ट्यूब खराब होने का पूरा अंदेशा है। ट्रैक्टर से पशु को मारने का आरोप है, किन्तु ट्रैक्टर पर पशु का कोई खून नहीं लगा हुआ है और न ही पोस्ट मोर्टम रिपोर्ट में ट्रैक्टर के

आघातों से पशु की मृत्यु का कोई कारण दर्ज है। पुलिस थाना घड़साना द्वारा मिथ्या आधारों पर ट्रैक्टर को वजह सबूत बनया गया है। ट्रैक्टर की सुपुर्दगी बाबत मौतबिर जमानत प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट के जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश न्यायहित में फरमावे।

3— विद्वान अभिभाषक अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2024 राजस्थान गोवंशीय अधिनियम 1995 में उल्लेखित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए पारित किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में ठोस साक्ष्य पेश करने में असफल रहें। पुलिस रिपोर्ट अनुसार जब्तशुदा वाहन अवैध गतिविधियों में काम लेते हुए जब्त किया गया। उक्त वाहन यदि अपीलांट को सुपुर्द कर दिया जाता है तो उसके पुनः दुर्पयोग की संभावना रहेगी। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2024 पारित करते हुए अपीलांट के जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। गोवंशीय अधिनिमय की धारा 11 के अनुसार "सबूत का भार जहां किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाये, वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपराध नहीं किया था।" किन्तु अपीलांट इस न्यायालय में भी ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सके जिससे यह साबित हो कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश पूर्ण विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2024 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.5

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर